रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257630
CG-DL-E-01102024-257630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/अश्विन 8, 1946
No. 282]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ ASVINA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

मामला सं. एडीडी (ओआई) - 33/2024

विषय: यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/35/2024-डीजीटीआर.—(1) समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दीपक नाइट्राइट लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ (जिसे आगे ^संबद्ध देश^ कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पैरा नाइट्रोटोलुइन (पीएनटी) है। इस उत्पादक को पैरानाइट्रोटोल्यूओल, 4-मिथाइलनाइट्रोबेंज़ीन, 1-मिथाइल-4-नाइट्रोबेंज़ीन, पी-मिथाइलनाइट्रोबेंज़ीन या 4-नाइट्रोटोल्यूइन (पीएनटी) के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्पादक के लिए केमिकल एब्सट्रैक्ट्स सर्विस (सीएएस) रजिस्ट्री संख्या 99-99-0 है।

4. विचाराधीन उत्पाद एक मूल रासायन है जिसे मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन के लिए रासायन उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। इन मध्यवर्ती वस्तुओं को आगे ऑप्टिकल ब्राइटनर, कलरिंग एजेंट, भेषज और कृषि रसायनों में भी प्रयोग किया जाता है इसे कृषि और रबड़ रसायन को सिंथेसाइज करने, अजो और सल्फरडाइज और कपास, ऊन, रेशम, कागज और चमड़े के लिए डाई में प्रयोग किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 29042050 के अंतर्गत आयातित किया गया है।

6. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी में अपनी टिप्पणियां (औचित्य सहित), यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने अनुरोध है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों समान वस्तुए हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को नियमावली के अंतर्गत आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

8. यह आवेदन दीपक नाइट्राइट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। भारत में एक अन्य उत्पादक - आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। यह बताया गया है कि आवेदक ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।

9 प्रदत्त सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा दर्शाता है और इसलिए वह नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश यूरोपीय संघ है।

ड. जांच की अवधि

11. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास संबद्ध देश में बिक्री कीमत का कोई साक्ष्य नहीं है। अत: आवेदक ने सामान्य मूल्य को उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत समायोजन के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का प्रस्ताव किया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य की पद्धति पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

13. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में यथा सूचित विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय मालभाडा व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करती है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

15. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयात की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री की लागत से कम है। यह दावा किया गया है कि आवेदक को आयात की कीमतों का मिलान करना होगा और यही कारण है कि कीमत में कटौती बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो अन्यथा बहुत अधिक होती अगर कीमतें पहुंच मूल्य के साथ मेल नहीं खातीं।

16. कथित तौर पर संबद्ध आयातों के कारण घरेलू कीमतें कम हो गई हैं। जांच की अवधि में, आवेदक को वित्तीय हानि, नकदी हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न भुगतना पड़ रहा है। पाटन रोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से डंप किए गए आयात के कारण होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतदद्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. **प्रक्रिया**

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का इस जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. **सूचना प्रस्तुत करना**

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in तथा उनकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागत व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा विहित ढंग और तरीके से जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना और आगे की कार्रवाई से अवगत रहने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. **समय सीमा**

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार उस तारीख से जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को हस्तांतरित किया जाएगा, से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर प्राधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना

जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय अंश उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) या सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय अंश का उचित और पर्याप्त अनुकृति होना अपेक्षित है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह दर्शाना होगा कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं हो सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार प्रस्तुत करना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है।

32. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के दावे के पर्याप्त और उचित कारण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के दावे के लिए रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सामान्य अथवा सारांश रूप में सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वे ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

35. प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने के बाद ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें ।

ढ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

CASE No. ADD (OI) – 33/2024

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Para Nitrotoluene (PNT) originating in or exported from the European Union.

F. No. No. 6/35/2024-DGTR.—(1) Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Deepak Nitrite Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Para Nitrotoluene (PNT) (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from the European Union (hereinafter referred to as the 'subject country').

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating in or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present application is Para Nitrotoluene (PNT). The product is also known as Paranitrotoluol, 4-Methylnitrobenzene, 1-Methyl-4-nitrobezene, p-Methylnitrobenzene or 4-Nitrotoluene. The Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Number for the product is 99-99-0.

4. The product under consideration is a basic chemical used in the chemical industry for the manufacturing of intermediates. These intermediates are further used in the production of optical brighteners, coloring agents, pharmaceuticals, and agrochemicals. It is used to synthesise agricultural and rubber chemicals, azo and sulphur dyes, and dyes for cotton, wool, silk, paper and leather.

5. The product under consideration is imported under the HS code 29042050.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. Like article

7. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and exported from the subject country and both are like articles. The

product produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, the product produced by the applicant should be treated as 'like article' to the imported product under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject country.

C. Domestic industry & standing

8. The application has been filed by Deepak Nitrite Limited. There is another producer in India – Aarti Industries Limited. It has been stated that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country and is not related to any exporters in the subject country nor to any importers in India.

9. Based on the information provided, it is seen that the production of the applicant represents a 'major proportion of domestic production' and therefore constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject country

10. The subject country in the present investigation is the European Union.

E. Period of investigation

11. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2023 – 31st March 2024 (12 months). The injury examination period is 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

F. Basis for alleged dumping

Normal value for European Union.

12. The applicant has claimed that it does not have access to any evidence of selling price in the subject country. Therefore, applicant has proposed to calculate the normal value based on the best estimates of cost of production, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The normal value methodology claimed by the applicant has been considered for the purpose of initiation.

Export price

13. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments

have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.

Dumping margin

14. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. Injury and causal link

15. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports has increased in absolute terms in the period of investigation. The landed price of imports is below the cost of sales of the applicant. It has been claimed that the applicant has had to match the prices of the imports and that is why price undercutting is not very significant which otherwise would have been much more had they not matched the prices with the landed value.

16. The domestic prices have allegedly been depressed by the subject imports. In the period of investigation, the applicant is suffering financial losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation.

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping dug, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

18. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-

dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to ale all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. <u>Time limit</u>

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. <u>Submission of information on confidential basis</u>

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to

simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

28. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

31. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the applicant within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. <u>Inspection of public file</u>

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. <u>Non-cooperation</u>

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.01 22:11:07 +05'30'